संख्या: 13013/50/2021-यूडीआईडी (कम्प्यूटर सं. 19803)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

***

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 25.08.2026

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

समाज कल्याण विभाग अथवा दिव्यांगता के लिए नोडल विभाग,

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (मानक सूची के अनुसार)

विषय: "दिव्यांगता प्रमाणन और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता योजना (2026-27 से 2030-31)" के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे इस विभाग के समान संख्या वाले दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यूडीआईडी उप-योजना के दायरे को 30.09.2026 तक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना के अनुमोदन की तिथि तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया था।

2. इस संबंध में, 16वें वित्तीय चक्र (2026-27 से 2030-31) के दौरान यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित यूडीआईडी उप-योजना एतद्द्वारा जारी की जाती है तथा इसे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है। संशोधित उप-योजना के प्रावधान 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होंगे।

3. संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विभाग के सभी नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 1 सितंबर, 2026 से आगे संशोधित योजना के प्रावधानों के अनुसार यूडीआईडी उप-योजना के अंतर्गत अपने वित्तीय प्रस्ताव भेजें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-

(मनीष कुमार मिश्रा)

भारत सरकार के अवर सचिव

अनुलग्नक

"दिव्यांगता प्रमाणन एवं यूनिक दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता योजना (2026-27 से 2030-31)"

1. पृष्ठभूमि

1.1 यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 56 से 59 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में दिव्यांगता प्रमाणन और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड जारी करने से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तैयार की गई है। योजना के अंतर्गत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैधानिक सेवाओं के कुशल प्रदाय हेतु कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना जून, 2014 में प्रारंभ की गई थी। इसका सॉफ्टवेयर मई, 2016 तक एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया तथा जनवरी, 2017 में यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाने प्रारंभ हुए। तब से यह प्रणाली दिव्यांगता प्रमाणन एवं पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल आधारभूत संरचना के रूप में विकसित हुई है। यूडीआईडी परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना है, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए देशभर में एकरूपता और शुद्धता सुनिश्चित करता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के अतिरिक्त, यूडीआईडी सशक्तिकरण, पारदर्शिता और आंकड़ा-आधारित नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

1.2 संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों को पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु इस केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया है।

2. उप-योजना के दिशानिर्देशों के उद्देश्य

i. दिव्यांगता प्रमाणन तथा यूडीआईडी कार्ड जारी करने से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना।

ii. देशभर में दिव्यांगता प्रमाणन में एकरूपता, पारदर्शिता एवं मानकीकरण सुनिश्चित करना।

iii. दिव्यांगता प्रमाणन एवं यूडीआईडी कार्ड के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रखरखाव एवं सुदृढ़ीकरण करना।

iv. अधिसूचित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों एवं प्रमाणन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना।

v. दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों एवं यूडीआईडी कार्डों को जारी करने, सत्यापित करने और प्रबंधित करने के लिए सुरक्षित एवं अंतर-संचालनीय डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना।

vi. केंद्र सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी को सुगम बनाना।

vii. दिव्यांगता प्रमाणन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता, दक्षता एवं नागरिक सुविधा में सुधार करना।

3. लक्ष्य

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन थे। उस समय जनगणना में दिव्यांगता की सात श्रेणियां शामिल थीं।

तत्पश्चात, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगताओं की मान्यता प्राप्त श्रेणियों का विस्तार कर इक्कीस (21) कर दिया गया, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है तथा समय-समय पर संशोधित किया जाता है। चूंकि संशोधित वैधानिक ढांचे के अंतर्गत भारत की जनगणना अभी तक आयोजित नहीं की गई है, इसलिए सभी मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की आधिकारिक जनसंख्या वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

तदनुसार, योजना अवधि (2026-27 से 2030-31) के दौरान यूडीआईडी परियोजना का लक्ष्य सभी पात्र बेंचमार्क दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड जारी करने में सुविधा प्रदान करना होगा।

भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) केंद्रीकृत यूडीआईडी पोर्टल के संचालन, रखरखाव एवं उन्नयन के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित नामित प्रमाणन प्राधिकारी एवं चिकित्सा प्राधिकारी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी कर सकें। विभाग परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा नियमित समीक्षा, समन्वय एवं क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों के समयबद्ध एवं सार्वभौमिक कवरेज को सुगम बनाएगा।

4. कार्यान्वयन एजेंसी

4.1 केंद्रीय स्तर

भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) राष्ट्रीय स्तर पर यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग होगा। विभाग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के नीति निर्माण एवं समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा। विभाग की जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) केंद्रीकृत यूडीआईडी पोर्टल तथा संबद्ध डिजिटल अवसंरचना का विकास, संचालन, रखरखाव एवं समय-समय पर उन्नयन।

(ii) लागू कानूनों, सरकारी नीतियों एवं निर्धारित मानकों के अनुसार यूडीआईडी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी सुरक्षा उपायों एवं कार्य निरंतरता उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(iii) यूडीआईडी कार्डों की छपाई तथा लाभार्थियों के पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से सुरक्षित प्रेषण हेतु एजेंसियों को कार्य सौंपना।

(iv) समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(v) परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता, उपयोगकर्ता सहायता एवं क्षमता निर्माण संबंधी सहायता प्रदान करना।

(vi) कम कवरेज वाले जिलों, दूरस्थ, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए जागरूकता एवं सूचना संबंधी गतिविधियों का आयोजन अथवा समर्थन करना।

(vii) यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन में संलग्न नामित अधिकारियों, प्रमाणन प्राधिकारियों, चिकित्सा प्राधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करना।

(viii) उपलब्ध अवसंरचना का आकलन करने तथा यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के संबंध में जमीनी स्तर से फीडबैक प्राप्त करने के लिए अस्पतालों का समय-समय पर दौरा करना।

4.2 राज्य स्तर

संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में यूडीआईडी परियोजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगा। इसकी जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु अस्पतालों एवं चिकित्सा प्राधिकारियों की अधिसूचना और प्राधिकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 59 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन सुनिश्चित करना।

(iii) सभी प्राधिकृत अस्पतालों एवं नामित चिकित्सा प्राधिकारियों को यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनबोर्ड करना तथा उनकी प्रोफाइल, उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल एवं संस्थागत विवरणों को समय पर अद्यतन करना सुनिश्चित करना।

(iv) पात्र बेंचमार्क दिव्यांगजनों के नामांकन को सुगम बनाना तथा आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना एवं यूडीआईडी कार्ड तैयार करना सुनिश्चित करना।

(v) पात्र दिव्यांगजनों के सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य से जागरूकता सृजन एवं आउटरीच गतिविधियों में डीईपीडब्ल्यूडी की सहायता करना।

(vi) परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु डीईपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय करने के लिए एकल संपर्क बिंदु (स्तर-10 अधिकारी या वर्ग 'क' अधिकारी से कम श्रेणी का न हो) नामित करना।

(vii) योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध होने की स्थिति में राज्य समन्वयकों की तैनाती करना।

(viii) योजना के दिशानिर्देशों एवं लागू वित्तीय नियमों के अनुसार प्राधिकृत अस्पतालों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य आईटी परिधीय उपकरणों की खरीद, स्थापना एवं रखरखाव करना।

(ix) जिला स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक मुद्दों का समाधान करना।

4.3 जिला स्तर

संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अस्पताल एवं चिकित्सा प्राधिकारी यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे, दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगता का मूल्यांकन करेंगे तथा दिव्यांगजन

अधिकार अधिनियम, 2016 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करेंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास अधिकारी अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए नामित कोई अन्य अधिकारी प्राधिकृत अस्पतालों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करेगा, ताकि आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुगम बनाया जा सके, जागरूकता एवं नामांकन गतिविधियां आयोजित की जा सकें, पात्र बेंचमार्क दिव्यांगजनों को यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जा सके तथा जिले में परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा सके।

5. वित्तीय सहायता की सीमा

घटक-वार वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:

घटक	व्यय की सीमा
यूडीआईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास/उन्नयन एवं रखरखाव, जिसमें ई-केवाईसी, एनजीसी क्लाउड सेवाएं, आधार वॉल्ट सेवाएं तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं	समय-समय पर जारी मूल कार्यादेश के अनुसार (डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)
यूडीआईडी कार्डों की छपाई	समय-समय पर जारी मूल कार्यादेश के अनुसार (डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)
स्पीड पोस्ट अथवा परिवहन के किसी अन्य माध्यम से यूडीआईडी कार्ड का प्रेषण	संबंधित विभाग/एजेंसी द्वारा समय-समय पर घोषित दरों के अनुसार (डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)
राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	*नोट-I में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ₹60,000 प्रति माह। पारिश्रमिक डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा दिया जाएगा, जबकि नियुक्ति संबंधित राज्य के दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	वास्तविक व्यय, किंतु वार्षिक वित्तीय सीमा तक सीमित (डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)
आईटी अवसंरचना की खरीद (कंप्यूटर डेस्कटॉप/लैपटॉप, प्रिंटर आदि)	प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक प्रमाणन चिकित्सा प्राधिकारी के लिए पांच वर्ष में एक बार अधिकतम ₹1 लाख, विनिर्देशों के चयन की स्वतंत्रता के साथ तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देते हुए (डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)

डीईपीडब्ल्यूडी में उप-योजना का प्रशासनिक व्यय	डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा परियोजना के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार, युवा पेशेवर अथवा अन्य जनशक्ति के पारिश्रमिक पर वास्तविक व्यय, जो *नोट-II में दी गई शर्तों के अधीन होगा।

नोट-I: राज्य समन्वयक को एक वर्ष की सफलतापूर्वक पूर्णता पर मूल पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जाएगी। 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने तथा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मूल्यांकित राज्य समन्वयक की संतोषजनक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर देय होगी। राज्य समन्वयक की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड **अनुलग्नक-I** में संलग्न हैं।

नोट-II: इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त सलाहकार, युवा पेशेवर अथवा अन्य जनशक्ति, रिपोर्टिंग अधिकारी (जिसका पद अनुभाग अधिकारी से कम न हो) तथा समीक्षा अधिकारी (जिसका पद अवर सचिव से कम न हो) द्वारा संतोषजनक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के पात्र होंगे।

6. घटक-वार भुगतान की शर्तें

घटक-वार/वर्ष-वार प्रस्तावित सांकेतिक आवंटन निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

घटक	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**Total**
यूडीआईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास/उन्नयन एवं रखरखाव, जिसमें ई-केवाईसी, एनजीसी क्लाउड सेवाएं, आधार वॉल्ट सेवाएं एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं	5.50	5.77	6.00	6.36	6.68	30.31
यूडीआईडी कार्डों की छपाई	2.00	2.20	2.42	2.66	2.90	12.18
स्पीड पोस्ट अथवा परिवहन के किसी अन्य माध्यम से यूडीआईडी कार्ड का प्रेषण	3.00	3.15	3.30	3.48	3.65	16.58
राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	2.00	2.10	2.20	2.31	2.43	11.04
डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00
आईटी अवसंरचना की खरीद	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50
प्रशासनिक व्यय	0.50	0.50	0.55	0.60	0.74	2.89
कुल	15.10	15.82	16.57	17.51	18.50	83.50

7. योजना के अंतर्गत निधि स्वीकृत करने संबंधी प्रावधान

i. योजना के संयुक्त सचिव सभी घटकों के लिए निधि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

ii. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उप-योजना के उपर्युक्त किसी घटक के अंतर्गत निधि की कमी होने की स्थिति में, ऐसी कमी की पूर्ति उप-योजना के एक अथवा अधिक अन्य घटकों में उपलब्ध बचत से की जा सकेगी।

iii. यूडीआईडी परियोजना की निगरानी अथवा उसके सुचारू कार्यान्वयन हेतु डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा नियुक्त सलाहकार, युवा पेशेवर अथवा अन्य जनशक्ति की कुल कार्यावधि पांच वर्ष अथवा 31.03.2031 से आगे नहीं होगी।

iv. उप-योजना के प्रशासनिक व्यय से संबंधित उक्त जनशक्ति की नई नियुक्ति सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) एवं एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) की स्वीकृति से की जा सकेगी, जबकि उक्त जनशक्ति की कार्यावधि बढ़ाने का प्रस्ताव संबंधित संयुक्त सचिव एवं आईएफडी की स्वीकृति से किया जा सकेगा। उक्त जनशक्ति के संबंध में किसी भी शर्त में छूट देने की शक्ति सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) में निहित होगी।

8. अन्य विविध प्रावधान

v. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी राज्य समन्वयक के पारिश्रमिक हेतु **अनुलग्नक-II** अथवा आईटी अवसंरचना हेतु **अनुलग्नक-III** के अनुसार निधि की आवश्यकता डीईपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत करेगी।

vi. राज्य समन्वयक के पारिश्रमिक हेतु निधि की मांग चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के अंतिम दिन के पश्चात नहीं की जाएगी। उदाहरणार्थ, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निधि की मांग 28.02.2027 तक की जा सकेगी।

vii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी निर्धारित प्रारूप में **अनुलग्नक-IV** के अनुसार राज्य समन्वयक की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट डीईपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत करेगी। उक्त रिपोर्ट पर राज्य समन्वयक तथा अवर सचिव के पद से कम न होने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

viii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधि के उपयोग के लिए सामान्य वित्तीय नियम अथवा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू वित्तीय नियमों का पालन करेगी।

ix. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों के संबंध में यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से अलग खाता रखेगी। आवश्यकता पड़ने पर यह खाता केंद्र सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा हेतु खुला रहेगा।

x. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी आईटी अवसंरचना की खरीद हेतु निधि जारी करने के संबंध में आवश्यक सहायक खरीद दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। आईटी अवसंरचना की खरीद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम बोलीदाता के माध्यम से केंद्रीय रूप से की जाएगी। केंद्र सरकार, लागू सहायक बिलों के प्रस्तुत किए जाने के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभाग को प्रतिपूर्ति कर सकती है।

xi. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसी उप-योजना के अंतर्गत खरीदी गई आईटी अवसंरचना का समुचित अभिलेख रखेगी तथा इन उपकरणों के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। ये अभिलेख मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।

xii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य समन्वयक की नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए। नियुक्ति के संबंध में देय कोई भर्ती शुल्क अथवा अन्य एजेंसी शुल्क राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समन्वयक को उप-योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

<u>अनुलग्नक-I</u>

विषय: यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत राज्य समन्वयक की नियुक्ति

संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य समन्वयक का चयन एवं नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया जाता है। राज्य समन्वयक की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगीः

शैक्षणिक योग्यता

i. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/आईटी से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/प्रमाणन/पाठ्यक्रम सहित स्नातक।

अथवा

बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) अथवा एमसीए अथवा बी.टेक. (आईटी) अथवा बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस)।

आयु सीमा

अभ्यर्थी ने आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

भाषा

राज्य समन्वयक को अंग्रेजी तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

पारिश्रमिक

राज्य समन्वयक को देय पारिश्रमिक/शुल्क के रूप में केंद्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अधिकतम रु. 60,000 (साठ हजार) प्रति माह की एकमुश्त राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें यूडीआईडी परियोजना के संबंध में राज्य के भीतर उनके भ्रमण हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि शामिल होंगे।

एक वर्ष की सफलतापूर्वक पूर्णता पर मूल पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रदान की जाएगी। उक्त 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि एक वर्ष पूर्ण होने तथा राज्य समन्वयक की संतोषजनक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी।

एक वर्ष के पारिश्रमिक के बराबर निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अग्रिम रूप से दी जाएगी। इसके पश्चात की निधि, इस उद्देश्य के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पूर्व में जारी निधि के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर जारी की जाएगी।

नियुक्ति की अवधि

(i) राज्य समन्वयक को प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(ii) कार्य-निष्पादन की संतोषजनकता, परियोजना की आवश्यकता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति को प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

(iii) योजना के अंतर्गत राज्य समन्वयक की कुल नियुक्ति अवधि, दी गई विस्तारों की संख्या की परवाह किए बिना, पांच वर्ष अथवा 31.03.2031 से आगे नहीं होगी।

(iv) प्रत्येक वर्ष के पश्चात नियुक्ति की निरंतरता स्वतः नहीं होगी और यह राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के अधीन होगी।

(v) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार राज्य समन्वयक की नियुक्ति समाप्त कर सकता है।

(vi) असंतोषजनक कार्य-निष्पादन अथवा योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) राज्य समन्वयक की नियुक्ति समाप्त करने अथवा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की अनुशंसा कर सकता है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को तदनुसार विनियमित किया जा सकता है।

राज्य समन्वयकों के कर्तव्य एवं दायित्व

राज्य समन्वयक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगा/करेगीः

(i) यूडीआईडी परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी संबंधित विभागों, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्राधिकारियों, प्राधिकृत अस्पतालों, चिकित्सा प्राधिकारियों एवं डीईपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय करना।

(ii) सभी जिलों में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों एवं यूडीआईडी कार्डों को समय पर जारी करने में बाधा उत्पन्न करने वाली परिचालन संबंधी समस्याओं की पहचान करना।

(iv) आवेदनों की लंबित स्थिति की निगरानी करना तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।

(vi) जिला प्रशासन के समन्वय से नामांकन अभियान, जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर आयोजित करने में राज्य सरकार की सहायता करना।

(vii) यूडीआईडी पोर्टल के संचालन के संबंध में अस्पतालों एवं जिला प्राधिकारियों को प्रथम स्तर की कार्यात्मक सहायता प्रदान करना तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु डीईपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय करना।

(viii) दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले प्रणालीगत मुद्दों की रिपोर्ट करना।

(ix) यूडीआईडी परियोजना से संबंधित सरकारी निर्देशों, परामर्शों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रसार सुगम बनाना।

(x) परियोजना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्यान्वयन, तकनीकी अथवा प्रशासनिक मुद्दों को नामित राज्य नोडल अधिकारी एवं डीईपीडब्ल्यूडी के समक्ष उठाना।

(xi) यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करना।

(xii) राज्य समन्वयक यूडीआईडी टीम के लिए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहेगा/रहेगी। राज्य समन्वयक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्त एवं अग्रेषित शिकायतों पर कार्रवाई करेगा/करेगी तथा शिकायतकर्ता आवेदकों को यूडीआईडी कार्ड एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा/करेगी।

अनुलग्नक-II

विषय: वित्तीय वर्ष __________ के लिए राज्य समन्वयक के पारिश्रमिक हेतु वित्तीय सहायता की मांग संबंधी प्रस्ताव

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
2.	वित्तीय वर्ष एवं वह अवधि जिसके लिए निधि मांगी गई है	
3.	राज्य समन्वयक का नाम	
4.	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5.	संविदा अवधि (से–तक)	
6.	नियुक्ति की तिथि	
7.	वर्तमान संविदा की समाप्ति की तिथि	
8.	अंतिम निधि जारी करने की तिथि	
9.	अंतिम जारी निधि की राशि	
10.	अंतिम स्वीकृति आदेश संख्या	
11.	अंतिम जारी निधि के उपयोग की स्थिति	
12.	अंतिम वेतनवृद्धि की तिथि	
13.	अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि	
14.	इस प्रस्ताव में प्रस्तावित मासिक पारिश्रमिक की राशि	
15.	इस प्रस्ताव में अनुशंसित कुल राशि	

(संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग के प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-III

विषय: आईटी अवसंरचना की खरीद हेतु वित्तीय सहायता की मांग संबंधी प्रस्ताव

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	राज्य का नाम	
2.	इस प्रस्ताव के अंतर्गत जिन दिव्यांगता प्रमाणन प्राधिकारियों के लिए आईटी अवसंरचना की खरीद की जानी है, उनकी संख्या (कृपया अस्पताल एवं जिलेवार विवरण दें)	
3.	खरीदे जाने वाले उपकरणों के नाम (कृपया अस्पताल एवं जिलेवार विवरण दें)	
4.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आईटी अवसंरचना की खरीद हेतु अंतिम अनुदान सहायता जारी किए जाने की तिथि	
5.	इस उद्देश्य के लिए जारी अंतिम अनुदान सहायता के स्वीकृति आदेश की संख्या	
6.	अंतिम अनुदान सहायता के अंतर्गत कवर किए गए दिव्यांगता प्रमाणन प्राधिकारियों की संख्या (कृपया अस्पताल एवं जिलेवार विवरण दें)	
4.	खरीद का माध्यम (जैसे, GeM के माध्यम से, खुले बाजार से अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू किसी अन्य माध्यम से)	
5.	अंतिम अनुदान सहायता के माध्यम से खरीदे गए उपकरणों के क्रमांक/सीरियल नंबर	
10	इस खरीद हेतु आवश्यक राशि	

(संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग के प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-IV

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समन्वयक हेतु यूडीआईडी त्रैमासिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समन्वयक का नाम:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम:

रिपोर्टिंग अवधि की तिथि:

कार्य सूची	गतिविधियों/कार्यों का नाम	गतिविधि/कार्य का संक्षिप्त विवरण	लंबित रहने का कारण/सामना की गई चुनौतियां	टिप्पणियां, यदि कोई हों
1.	जिला प्राधिकारियों के साथ आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम			
2.	आयोजित शिविर			
3.	समाधान की गई समस्याएं/शिकायतें			
4.	अस्पताल/जिला प्राधिकारियों के साथ समन्वय			
5.	यूडीआईडी अद्यतन			
6.	यूडीआईडी परियोजना से संबंधित अन्य कोई कार्य			

राज्य समन्वयक के हस्ताक्षर

संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर